

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 50

एड्स नियंत्रण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		1313.68	...	1313.68	1692.00	...	1692.00	1751.56	...	1751.56	1770.00	...	1770.00	
		0.18	...	0.18	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00	
		1313.86	...	1313.86	1700.00	...	1700.00	1759.56	...	1759.56	1785.00	...	1785.00	
1.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	9.73	...	9.73	12.58	...	12.58	11.78	...	11.78	13.38	...	13.38
2.	राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सहायता अनुदान													
2.01	निवारण संबंधी कार्यक्रम अर्थात् लक्षित हस्तक्षेप (टीआई), यौनसंचारित संक्रमण (एसटीआई) रक्त सुरक्षा, मुख्य धारा में लाना, सर्वेक्षण तथा लिक कार्यकर्ता योजना	2210	473.81	...	473.81	722.12	...	722.12	675.77	...	675.77	833.00	...	833.00
2.02	एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा, समेकित परामर्श तथा परीक्षण केन्द्रों सहित परिचर्चा, सहायता और उपचार (सीएसटी)	2210	273.10	...	273.10
	जोड़- राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सहायता अनुदान		746.91	...	746.91	722.12	...	722.12	675.77	...	675.77	833.00	...	833.00
3.	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण	2210	39.50	...	39.50	65.00	...	65.00	85.00	...	85.00	72.00	...	72.00
4.	खरीद													
4.01	उपकरण	2210	367.18	...	367.18	4.80	...	4.80	5.30	...	5.30	11.10	...	11.10
4.02	औषधि, किट्स और उपभोक्ता वस्तुएं	2210	14.68	...	14.68	440.72	...	440.72	589.21	...	589.21	458.56	...	458.56
4.03	सेवाएं	2210	14.76	...	14.76	41.77	...	41.77	27.49	...	27.49	20.85	...	20.85
	जोड़- खरीद		396.62	...	396.62	487.29	...	487.29	622.00	...	622.00	490.51	...	490.51
5.	राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद	2210	0.91	...	0.91	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
6.	कंडोमों की आपूर्ति	2210	120.01	...	120.01	234.00	...	234.00	180.00	...	180.00	179.60	...	179.60
7.	रक्त एवं रक्त उत्पादों हेतु कार्यक्रम	2210
8.	मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय	4210	0.18	...	0.18	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00
9.	अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान	2210	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10.01	2552	144.00	...	144.00	158.00	...	158.00	95.00	...	95.00
10.02	2552	8.00	...	8.00
10.03	2552	54.50	...	54.50
10.04 कंडोमों की आपूर्ति	2552	26.00	...	26.00	18.00	...	18.00	21.00	...	21.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं		170.00	...	170.00	176.00	...	176.00	178.50	...	178.50
कुल जोड़		1313.86	...	1313.86	1700.00	...	1700.00	1759.56	...	1759.56	1785.00	...	1785.00
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	9.73	...	9.73	12.58	...	12.58	11.78	...	11.78	13.38	...	13.38
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1304.13	...	1304.13	1517.42	...	1517.42	1571.78	...	1571.78	1593.12	...	1593.12
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	170.00	...	170.00	176.00	...	176.00	178.50	...	178.50
जोड़		1313.86	...	1313.86	1700.00	...	1700.00	1759.56	...	1759.56	1785.00	...	1785.00

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम IV की कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर निगम एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इनमें (I) उच्च जोखिम वाले वर्गों और त्रिज आवादी में लक्षित हस्तक्षेप; (II) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यकलाप (III) यौन संचरित संक्रमण का उपचार, (IV) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन (V) माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं जांच सुविधाओं का प्रावधान, (VI) लिंक कार्यकर्ता योजना के जरिए ग्रामीण आउटरिच सहित (क) निवारण, (ख) एच आई वी/एड्स से ग्रसित लोगों के लिए परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, और (घ) कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन शामिल हैं।

वर्ष 2013-14 हेतु देखभाल, समर्थन तथा एन्टी-रेट्रोवायरल थेरेपी, एकीकृत परामर्श तथा जांच सुविधाएं तथा माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम आदि के लिए प्रावधान रोकथाम गतिविधियों के अंतर्गत किया गया है।

3. **सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण:** सुरक्षित तौर-तरीके अपनाने, सेवाओं के लिए मांग सृजित करने, कलंक और भेदभाव कम करने और अनुकूल एवं सशक्त माहौल बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना।

4. **खरीद:** यह प्रावधान औषधों, किटों, उपभोग्यों और उपकरण की खरीद के लिए है।

5. **राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद:** यह प्रावधान स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद को अनुदान देने के लिए है।

6. **कंडोमों की आपूर्ति:** यह प्रावधान निःशुल्क आपूर्ति एवं कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के लिए कंडोमों की खरीद तथा इसके लिए प्रचार अभियानों हेतु है।

8. **मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान 4 मेट्रो रक्त बैंकों की चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थापना और प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन केन्द्र हेतु है।

9. **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि में भारत सरकार के अंशदान के लिए है।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं:** योजना आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान निर्धारित किया गया है।